—मथुरा रिफाइनरी द्वारा पर्यावरणीय प्रबंध को बढ़ावा देना ।

—उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना ।

—वाहनों के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना ।

—मथुरा रिफाइनरी के लिए स्वच्छ धन ।

—मथुरा रिफाइनरी के लिए हाइड्रोक्रेकिंग प्रौद्योगिकी की स्थापना ।

—एशिया विकास बैंक के परामर्श पर्यावरणीय प्रबंध के लिए वैकल्पिक तियों का पता लगाना ।

यद्यपि, मंत्रालय यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उपरोक्त उपायों से ताजमहल की कितनी सुरक्षा होगी फिर भी यह माना जा सकता है कि इन उपायों के फलस्वरूप बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण में ताज महल को होने वाले संभावित खतरे अवश्य ही कम हो जाएंगे ।

गुजरात को जलमल निकास योजनाओं को शामिल किया जाना

4528. **श्री गोपाल सिंह जो० सोलंकी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास गुजरात की जल-मल निकास प्रणाली संबंधी कोई योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु लंबित पड़ी हैं ;

(ख) क्या सरकार को 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार कोई प्रतिअभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रत्येक योजना पर कितना धन व्यय होने की संभावना है और सरकार द्वारा इन योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत साबरमती नदी के अहमदाबाद में अभिनिर्धारित किए गए प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत गुजरात में साबरमती नदी के अहमदाबाद क्षेत्र में प्रदूषण निवारण कार्य की अनुमानित लागत लगभग 99 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

शहरों में प्रदूषण संबंधी सर्वेक्षण

4529. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में जबलपुर शहर में प्रदूषण के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है और इसे सर्वाधिक प्रदूषण वाले शहरों की श्रेणी में रखा है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब कराया गया था और इस सर्वेक्षण के अन्य निष्कर्ष क्या थे ;

(ग) देश में अन्य कौन-कौन से शहरों में ऐसा सर्वेक्षण कराया गया था और उनके क्या निष्कर्ष निकले ;

(घ) वायु प्रदूषण में मौजूद निलम्बित धूलकण, नाइट्रोजन के आक्साइड और सल्फर डाइ आक्साइड के आधार पर प्रदूषण तथा उसके अनुपात का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार सर्वेक्षण किए गए प्रदूषित शहरों को प्रदूषण मुक्त करने संबंधी किसी योजना पर विचार करने का

प्रस्ताव रखती है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किया जाएगा ; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार की कोई एजेंसी प्रदूषण युक्त शहरों के निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का भी अध्ययन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जबलपुर शहर में प्रदूषण के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से जबलपुर शहर में तीन स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। वर्ष 1992 और 1993 के निगरानी परिणामों से पता चलता है कि कुछ मामलों में आवासीय क्षेत्रों में निलंबित धूलकण निर्धारित मानकों से अधिक हैं।

(ग) उनकी अद्यतन सूचना के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 92 शहरों और नगरों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। ये हैं अंकलेश्वर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, अहमदाबाद, अलवर, अगरतला, आगरा, अन्नपाड़ा, बंगईगांव, बरौनी, बंगलोर भिलाई, भोपाल, बम्बई, कालीकट, चन्द्रपुर, कोयम्बटूर, कलकत्ता, चण्डीगढ़, धनबाद, धारूहेड़ा, दमताल, धारवाड़, देहरादून, दुर्गापुर, दमन, दिल्ली, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, गुवाहाटी, गोविन्दगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, हैदराबाद, हिसार, हल्दिया, हावड़ा, ईटानगर, इन्दौर, इम्फाल, जमशेदपुर जम्मू, जबलपुर, जालन्धर, जयपुर, जोधपुर, झांसी, कोटाडम, रांची, कोरबा, कोहिमा, काटा, कानपुर, खुर्जा, लुधियाना, लखनऊ, मंगलौर, मैसूर, मद्रास, मादीनयर, नागदा, नागपुर, नासिक नया नांगल, नोएडा, पटना, पंजिम, परवानू, पोन्टा साहिब, पुणे, पाण्डिचेरी, राजकोट, रायचूर, रायपुर, रायगढ़, राउरकेला, सूरत, शिमला, सतना, शोलापुर, शिलांग, सिल्वासा, तिरूवनन्तपुरम, तलचर, तूतीकोरिन, उदयपुर, विशाखापत्तनम, वास्कोडिगामा, बडोदरा, वापी, वाराणसी और यमुनानगर।

(घ) सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के स्तर आमतौर पर सीमाओं के अन्दर हैं जबकि कुछ शहरों में निलम्बित धूलकण कई बार मानकों से अधिक पाए गए। इसका मुख्य कारण धूलभरी परिस्थितियों का होना है।

(ङ) शहरों में प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. प्रदूषण फैलाने वाली बड़ी श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

2. उद्योगों को निदेश दिया गया है कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

3. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत पैट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत वाहनीय उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

4. प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

5. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते है।

6. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

7. बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टरयुक्त कारों में उपयोग के लिए 1-4-1995 से सीसा-रहित पैट्रोल शुरु किया गया है।

8. उद्योगों को स्थगन-निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(च) अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय महामारीय अध्ययन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा वैज्ञानिक और चिकित्सा संस्थाओं को प्रायोजित किया गया है। अब तक सात स्थानों पर अध्ययन आरम्भ किए गए हैं, ये है, वार्पा, तलचर, चेम्बूर, कोचीन, भद्रावती, मण्डी गोबिन्दगढ़ तथा कानपुर।

Amendment in Water (Prevention and Central of Pollution) Act, 1974

4530. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend certain provisions of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor:

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) The Government have initiated steps for integration of the environmental Acts and also for changing the name of the Pollution Control Boards to Environment Protection Boards, in view of their changing and crucial role in propotional and regulatory activities after the enactment of the Environment (Protection) Act, 1986.

Pollution in Ground Water

4531. SHRI T. VENKATRAM REDDY:

SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints from different States regarding pollution in ground water;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have made any survey on polluted ground water in different States;

(d) if so, the details thereof, alongwith the locations identified; and

(e) the steps taken by Government to check pollution of ground water?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A complaint regarding large scale arsenic contamination of groundwater in 24 Parganas (North), 24 Parganas (South), Nadia, Bardwan, Murshidabad and Malda districts in West Bengal has been received. Some complaints have also been received regarding ground water pollution due to percolation of industrial effluent and sewage in different parts of the country.

(c) and (d) The Central Pollution Control Board has undertaken a ground water quality monitoring project and has set up a network of 134 ground water sampling locations in the following areas: Bhadravati (Karnataka), Chembur (Maharashtra), Dhanbad (Bihar), Durgapur (West